राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकः प.12(7)साप्र/5/11 पार्ट   जयपुर, दिनांकः 04-04-2013

आदेश

राजस्थान स्थित विश्राम भवनों /ट्रांजिट होस्टल, जयपुर एवं नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस ,जोधपुर हाउस तथा राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में पदों के पुर्नगठन पश्चात कनिष्ठ लिपिक के 38 पद नवसृजित किये जाने बाबत इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनांक 01.11.12 जारी किये गये है। कनिष्ठ लिपिक के पद राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में सम्मिलित है।

अतः कनिष्ठ लिपिक के पदों के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. विश्राम भवन में पदस्थापित कनिष्ठ लिपिक पद के लिये उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है।
2. कनिष्ठ लिपिक पद की वरिष्ठता, संस्थापन एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच, शिकायत आदि कार्य का निस्तारण उप शासन सचिव विभागाध्यक्ष एवं नियुक्तिकर्ता के स्तर पर होगा।
3. कनिष्ठ लिपिक पद के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के लिये निम्न अधिकृत चेनल रहेगा :–

   प्रतिवेदक अधिकारी – संबंधित प्रबंधक

   समीक्षक अधिकारी – उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग
4. कनिष्ठ लिपिक पद के वेतन निर्धारण के संबंध में संबंधित प्रबंधक विश्राम भवन तथा जिला कलक्टर कार्यालय के लेखाधिकारी के अनुमोदन पश्चात् जारी करेगा तथा वेतन आदि का भुगतान करायेगा।

(चन्द्र मोहन मीणा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख निवासीय आयुक्त (राजस्थान,) बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
2. प्रमुख महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. संबंधित कोषाधिकारी राजस्थान।
5. संयुक्त शासन सचिव , वित्त (बजट) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी सा. प्र. (ग्रुप–4) विभाग।
8. समस्त प्रबंधक राजस्थान /नईदिल्ली ।
9. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
उप शासन सचिव